बीमा कंपनी उपभोक्ता के वारिस को दो लाख बीमा धन का भुगतान करें

धार | बीमा कंपनी ने प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत यदि प्रीमियम लिया है तो बीमाधारक की दुर्घटना में मृत्यु होने पर उसके वारिस को बीमा धन का भुगतान करना चाहिए। यदि इंश्योरेंस कंपनी ऐसा करने में असफल रहती है तो यह सेवा में कमी है और पीड़ित उपभोक्ता को बीमा धन के साथ ही 5000 सेवा में कमी व वाद व्यय के 2000 रुपए अलग से भुगतान करना होगा।

यह निर्णय जिला उपभोक्ता फोरम धार ने ग्राम बालीपुर तहसील मनावर जिला धार के विजय पिता स्वर्गीय भीमा मुलेवा द्वारा दायर एक प्रकरण में वाद निराकृत करते हुए आदेश प्रदान किए। न्यायाधीश अध्यक्ष उपभोक्ता फोरम धार पीएस पाटीदार व सदस्य डॉ. दीपेंद्र शर्मा ने प्रकरण का निराकरण करते हुए आदेश पारित किया। परिवादी भीमा मुलेवा ने प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना के अंतर्गत 12 प्रीमियम का प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना का बीमा लिया था। बीमित अवधि में पालिसीधारक की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। बीमा कंपनी ने मृत्यु के अस्पष्ट कारणों के आधार पर क्लेम निरस्त कर दिया। बीमाधारक के पुत्र विजय ने उपभोक्ता फोरम धार में एक परिवाद दायर किया और बीमा धन की मांग की। सभी पक्षों द्वारा पेश प्रमाण और तर्कों को सुनने के बाद उपभोक्ता फोरम ने पाया कि बीमाधारक की मृत्यु सड़क दुर्घटना में हुई है अतः बीमा कंपनी को बीमा राशि का भुगतान करना चाहिए। परिवादी के पक्ष में तथा विपक्षी बीमा कंपनी द न्यू इंडिया इंश्योरेंस के खिलाफ आदेश पारित करते हुए प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना की क्षतिपूर्ति राशि 200000 एक माह में अदा करने का आदेश प्रदान किया। साथ ही सेवा में कमी के लिए 5000 और वाद व्यय में 2000 रुपए पृथक से देने का भी आदेश पारित कर उपभोक्ता को उसका हक प्रदान करवाया। यह जानकारी कार्यालय अधीक्षक वसंत कलम ने दी है।

प्ले स्कूल की संचालिका को फटकार, लौटानी होगी फीस

भोपाल। नवदुनिया प्रतिनिधि

बाल आयोग की बेंच में दोनों पक्षों के बीच हुई सुनवाई

मप्र बाल संरक्षण आयोग में बीते शुक्रवार को पंचशील नगर के शाइनिंग स्टार प्ले स्कूल में पांच साल की बच्ची को थप्पड़ मारने का मामला पहुंचा। मामले में आयोग ने कड़ा रुख अपनाते हुए संचालिका को फटकार लगाई और बच्ची की पूरी फीस लौटाने के निर्देश दिए।

बाल आयोग में पंचशील नगर निवासी किशोर कापसे ने शिकायत बताया कि शाइनिंग स्टार प्ले स्कूल में लगातार दो दिन उनकी बच्ची के साथ पिटाई गई। इससे बच्ची बेहद सदमे में है और पांच दिनों से स्कूल नहीं जा रही है। मामले में दोनों पक्षों ने टीटी नगर थाने में एक-दूसरे के खिलाफ शिकायत भी दर्ज की थी। आयोग में दोनों पक्ष सुनवाई के लिए पहुंचे थे। बच्ची ने भी बताया कि मैडम ने उसे दो दिन थप्पड़ मारे थे। उन्होंने कहा कि स्कूल वाले उनकी बच्ची का दूसरे स्कूल में एडमिशन कराएं। सुनवाई के बाद बाल आयोग ने स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिया कि वे इस सत्र में बच्ची की ली हुई फीस और एडमिशन फीस सहित इस साल ली गई अन्य राशि को हर्जाने के तौर पर अभिभावकों को दें। साथ ही उन्हें भविष्य में ऐसी गलती न दोहराने की हिदायत देते हुए सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।

आयोग के सदस्य ब्रजेश चौहान ने बताया कि स्कूल संचालिका ने अपनी गलती स्वीकारते हुए लिखित में माफी भी मांगी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने बच्ची को उन्होंने पढ़ाई के दौरान थप्पड़ मार दिया था। बच्ची से उनका कोई बैर नहीं है।